GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 95
TO BE ANSWERED ON 20.07.2023

REFORMS IN THE EPF AND ESI

95. # SMT. SEEMA DWIVEDI:

Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:

(a) whether Government is considering to bring some kind of reforms in the Employee Provident Fund (EPF) and Employee State Insurance (ESI) for the better future of labourers working in the unorganized sector across the country;
(b) if so, the details of the process thereof;
(c) the details of labourers working in the unorganized sector during the last 5 years across the country, State-wise, and
(d) the number of labourers covered under EPF and ESI across the country so far,state-wise?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI RAMESWAR TELI)

(a) to (d): The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions (EPF & MP) Act, 1952 is applicable to factories and notified classes of establishment employing twenty or more employees with monthly EPF wages up to Rs.15,000/- per month. Similarly, the Employees' State Insurance (ESI) Act, 1948 is applicable to all factories and establishments employing ten or more persons working in organized sector drawing wages up to Rs. 21000/- (Rs. 25,000/- for persons with disabilities).

The Code on Social Security, 2020 (the Code) notified on 29.09.2020 and envisages, inter-alia, framing of schemes for unorganised workers. Further, the Code for the first time enables an establishment having less than ten persons to join ESIC on voluntary basis. The provisions of the Code relating to Employees' Provident Fund is applicable to every establishment in which 20 or more employees are employed without any reference to scheduled establishments.

Contd..2/-

•-• https://www.staffnews.in •-•

The Government has launched e-Shram portal on 26.08.2021 for registration and creation of a Comprehensive National Database of Unorganized Workers. The details of State/UT-wise count of unorganised workers registered on e-Shram portal as on 13th July, 2023 are at Annexure-I.

There are 6.85 crores EPF contributing members [Universal Account Numbers (UANs contributed at least once)] in Financial Year 2022-2023, the State/UT-wise details are at Annexure-II. The State/UT-wise details of number of Labourers covered under ESI Scheme are at Annexure-III.

*** *****

•-• https://www.staffnews.in •-•

Annexure-I

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (d) OF RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 95 TO BE ANSWERED ON 20.07.2023 BY SMT. SEEMA DWIVEDI HON'BLE M.P. REGARDING 'REFORMS IN THE EPF AND ESI'

Sl. No.	State/UT	Total Registration (As on 13th July 2023)
1	ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS	29,109
2	ANDHRA PRADESH	79,93,131
3	ARUNACHAL PRADESH	1,42,395
4	ASSAM	69,77,606
5	BIHAR	2,86,28,531
6	CHANDIGARH	1,74,548
7	CHHATTISGARH	83,20,247
8	DELHI	32,63,970
9	GOA	63,122
10	GUJARAT	1,13,34,388
11	HARYANA	52,70,537
12	HIMACHAL PRADESH	19,29,421
13	JAMMU AND KASHMIR	34,02,936
14	JHARKHAND	92,04,463
15	KARNATAKA	76,23,738
16	KERALA	59,11,220
17	LADAKH	30,854
18	LAKSHADWEEP	2,455
19	MADHYA PRADESH	1,71,21,425
20	MAHARASHTRA	1,36,80,517
21	MANIPUR	4,06,779
22	MEGHALAYA	3,01,257
23	MIZORAM	58,614
24	NAGALAND	2,19,942
25	ODISHA	1,33,42,365
26	PUDUCHERRY	1,78,944
27	PUNJAB	55,06,500
28	RAJASTHAN	1,29,57,097
29	SIKKIM	30,673
30	TAMIL NADU	84,70,282
31	TELANGANA	42,06,937
32	THE DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU	73,256
33	TRIPURA	8,51,823
34	UTTAR PRADESH	8,30,59,043
35	UTTARAKHAND	29,79,437
36	WEST BENGAL	2,58,52,865
	Total	**28,96,00,427**

•-• https://www.staffnews.in •-•

Annexure-II

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (d) OF RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 95 TO BE ANSWERED ON 20.07.2023 BY SMT. SEEMA DWIVEDI HON'BLE M.P. REGARDING 'REFORMS IN THE EPF AND ESI'

Details of Contributing UANs at least once in FY 22-23		
Sl. No.	**State/UT**	**Contributing Members**
1	ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS	21,275
2	ANDHRA PRADESH	16,24,653
3	ARUNACHAL PRADESH	11,587
4	ASSAM	3,65,918
5	BIHAR	11,77,221
6	CHANDIGARH	6,38,985
7	CHHATTISGARH	7,05,116
8	DELHI	43,77,977
9	GOA	2,67,715
10	GUJARAT	48,11,660
11	HARYANA	39,94,141
12	HIMACHAL PRADESH	4,80,080
13	JAMMU AND KASHMIR	2,05,187
14	JHARKHAND	7,20,917
15	KARNATAKA	84,22,436
16	KERALA	13,69,726
17	LADAKH	2,384
18	MADHYA PRADESH	15,72,984
19	MAHARASHTRA	1,43,39,441
20	MANIPUR	18,084
21	MEGHALAYA	43,008
22	MIZORAM	4,465
23	NAGALAND	11,713
24	ODISHA	11,26,899
25	PUNJAB	9,39,714
26	RAJASTHAN	18,83,766
27	SIKKIM	33,445
28	TAMIL NADU	73,92,661
29	TELANGANA	42,35,110
30	TRIPURA	33,639
31	UTTAR PRADESH	34,51,727
32	UTTARAKHAND	8,23,450
33	WEST BENGAL	34,38,663
Grand Total		**6,85,45,747**

•-• https://www.staffnews.in •-•

Annexure-III

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (d) OF RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 95 TO BE ANSWERED ON 20.07.2023 BY SMT. SEEMA DWIVEDI HON'BLE M.P. REGARDING 'REFORMS IN THE EPF AND ESI'

S. No.	State/UT	Insured Persons as on 31.03.2022
1	ANDHRA PRADESH	1217420
2	ASSAM, MEGHALYA, NAGALAND, TRIPURA, MANIPUR, MIZORAM AND ARUNACHAL PRADESH	300020
3	BIHAR	358980
4	CHANDIGARH	130200
5	CHHATTISGARH	506750
6	DELHI	1328320
7	GOA	172650
8	GUJARAT	1568900
9	HARYANA	2319520
10	HIMACHAL PRADESH	346160
11	JAMMU & KASHMIR	122960
12	JHARKHAND	425620
13	KARNATAKA	2963220
14	KERALA	945260
15	MADHYA PRADESH	967000
16	MAHARASHTRA	3990490
17	ODISHA	741560
18	PUDUCHERRY	104520
19	PUNJAB	1216430
20	RAJASTHAN	1336380
21	SIKKIM	28340
22	TAMIL NADU & A N ISLANDS	3560310
23	TELANGANA	1564130
24	UTTAR PRADESH	2365560
25	UTTARAKHAND	604560
26	WEST BENGAL	1835310
	Total	**31020570**

******

•-• https://www.staffnews.in •-•

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 95

गुरूवार, 20 जुलाई, 2023/ 29 आषाढ़, 1945 (शक)

ईपीएफ और ईएसआई में सुधार

95. श्रीमती सीमा द्विवेदी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बेहतर भविष्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में किसी प्रकार का सुधार करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में विगत 5 वर्षों के दौरान असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक देश भर में ईपीएफ और ईएसआई के अंतर्गत शामिल किए गए श्रमिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एवं एमपी) अधिनियम, 1952 उन कारखानों और प्रतिष्ठानों के अधिसूचित वर्गों पर लागू होता है जिनमें 15,000/- रुपये प्रति माह तक मासिक ईपीएफ वेतन वाले बीस या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इसी प्रकार, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 संगठित क्षेत्र के उन सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जिनमें 21000/- रुपये (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 25,000/- रुपये) तक का वेतन पाने वाले दस या अधिक काम करने वाले व्यक्ति नियोजित होते हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (संहिता) को दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाएं तैयार करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, संहिता पहली बार दस से कम व्यक्तियों वाले प्रतिष्ठान को स्वैच्छिक आधार पर ईएसआईसी में शामिल होने के लिए सक्षम बनाती है। कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित संहिता के प्रावधान वैसे प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होते हैं जिसमें अनुसूचित प्रतिष्ठानों का संदर्भ लिए बगैर 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

सरकार ने असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण और एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल आरंभ किया है। 13 जुलाई, 2023 की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2022-2023 में ईपीएफ में अंशदान करने वाले 6.85 करोड़ सदस्य हैं [सार्वभौम खाता संख्या-(यूएएन) में जिन्होंने कम से कम एक बार अंशदान किया है)], जिनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-II में दिए गए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए श्रमिकों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

***

अनुबंध-I

ईपीएफ और ईएसआई में सुधार के संबंध में माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी द्वारा पूछे गए दिनांक 20.07.2023 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	कुल पंजीकरण (13 जुलाई,2023 की स्थिति के अनुसार)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	29,109
2	आंध्र प्रदेश	79,93,131
3	अरुणाचल प्रदेश	1,42,395
4	असम	69,77,606
5	बिहार	2,86,28,531
6	चंडीगढ़	1,74,548
7	छत्तीसगढ	83,20,247
8	दिल्ली	32,63,970
9	गोवा	63,122
10	गुजरात	1,13,34,388
11	हरियाणा	52,70,537
12	हिमाचल प्रदेश	19,29,421
13	जम्मू और कश्मीर	34,02,936
14	झारखंड	92,04,463
15	कर्नाटक	76,23,738
16	केरल	59,11,220
17	लद्दाख	30,854
18	लक्षद्वीप	2,455
19	मध्य प्रदेश	1,71,21,425
20	महाराष्ट्र	1,36,80,517
21	मणिपुर	4,06,779
22	मेघालय	3,01,257
23	मिजोरम	58,614
24	नागालैंड	2,19,942
25	ओडिशा	1,33,42,365
26	पुदुचेरी	1,78,944
27	पंजाब	55,06,500
28	राजस्थान	1,29,57,097
29	सिक्किम	30,673
30	तमिलनाडु	84,70,282
31	तेलंगाना	42,06,937
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	73,256
33	त्रिपुरा	8,51,823
34	उत्तर प्रदेश	8,30,59,043
35	उत्तराखंड	29,79,437
36	पश्चिम बंगाल	2,58,52,865
	कुल	**28,96,00,427**

अनुबंध-II

ईपीएफ और ईएसआई में सुधार के संबंध में माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी द्वारा पूछे गए दिनांक 20.07.2023 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्त वर्ष 2022-23 में कम से कम एक बार यूएएन में अंशदान करने का विवरण		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अंशदाता सदस्य**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	21,275
2	आंध्र प्रदेश	16,24,653
3	अरुणाचल प्रदेश	11,587
4	असम	3,65,918
5	बिहार	11,77,221
6	चंडीगढ़	6,38,985
7	छत्तीसगढ	7,05,116
8	दिल्ली	43,77,977
9	गोवा	2,67,715
10	गुजरात	48,11,660
11	हरियाणा	39,94,141
12	हिमाचल प्रदेश	4,80,080
13	जम्मू और कश्मीर	2,05,187
14	झारखंड	7,20,917
15	कर्नाटक	84,22,436
16	केरल	13,69,726
17	लद्दाख	2,384
18	मध्य प्रदेश	15,72,984
19	महाराष्ट्र	1,43,39,441
20	मणिपुर	18,084
21	मेघालय	43,008
22	मिजोरम	4,465
23	नागालैंड	11,713
24	ओडिशा	11,26,899
25	पंजाब	9,39,714
26	राजस्थान	18,83,766
27	सिक्किम	33,445
28	तमिलनाडु	73,92,661
29	तेलंगाना	42,35,110
30	त्रिपुरा	33,639
31	उत्तर प्रदेश	34,51,727
32	उत्तराखंड	8,23,450
33	पश्चिम बंगाल	34,38,663
कुल योग		**6,85,45,747**

अनुबंध-III

ईपीएफ और ईएसआई में सुधार के संबंध में माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी द्वारा पूछे गए दिनांक 20.07.2023 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.03.2022 तक बीमित व्यक्ति
1	आंध्र प्रदेश	1217420
2	असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश	300020
3	बिहार	358980
4	चंडीगढ़	130200
5	छत्तीसगढ	506750
6	दिल्ली	1328320
7	गोवा	172650
8	गुजरात	1568900
9	हरियाणा	2319520
10	हिमाचल प्रदेश	346160
11	जम्मू और कश्मीर	122960
12	झारखंड	425620
13	कर्नाटक	2963220
14	केरल	945260
15	मध्य प्रदेश	967000
16	महाराष्ट्र	3990490
17	ओडिशा	741560
18	पुदुचेरी	104520
19	पंजाब	1216430
20	राजस्थान	1336380
21	सिक्किम	28340
22	तमिलनाडु और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3560310
23	तेलंगाना	1564130
24	उत्तर प्रदेश	2365560
25	उत्तराखंड	604560
26	पश्चिम बंगाल	1835310
	कुल	**31020570**

******